भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली-**110001**

सं.3/4/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या/न्यायिक/एसडीआर/वाल्यूम-**1/2016** दिनांक: **17** मई, 2017

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2017- नाम-निर्देशन प्ररूप 2क, 2ख, 2ग, 2घ एवं 2ङ तथा प्ररूप 26 में शपथ-पत्र में संशोधन-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से संलग्न नाम-निर्देशन प्ररूप **2**क, 2ख, 2ग, **2**घ एवं **2**ङ तथा प्ररूप **26** राजपत्र अधिसूचना का.आ. **1133** (अ.), दिनांक **7** अप्रैल, 2017 (प्रति संलग्न) द्वारा संशोधित किए गए हैं। इस अधिसूचना के द्वारा नाम-निर्देशन प्ररूप **2**क तथा 2ख के भाग IIIक तथा नाम-निर्देशन प्ररूप **2**ग, **2**घ एवं **2**ङ के भाग IIक में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्ररूप **26** के भाग क में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:-

(क) पैरा**(3)** के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

''(3) मेरा/मेरे संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं .... और मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो).. है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो)

(i) .... (ii) .... (iii) .... है/हैं।

(ख) पैराग्राफ **(9)** के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''**(9**क**)** आय के स्रोत **(**स्रोतों**)** के ब्योरे:

(ग**)** स्वयं ....

(घ**)** पति/पत्नी ....

उपर्युक्त संशोधन के बारे में राज्य सभा निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी सहित सभी रिटर्निंग अधिकारियों को और अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में आधारित राजनीतिक दलों को कृपया तत्काल संसूचित किया जाए।

भवदीय

ह०/-
(एन.टी.भुटिया)
अवर सचिव

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1007] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2017/चैत्र 17, 1939
No. 1007] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2017/CHAITRA 17, 1939

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2017

का.आ. 1133(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 33 के साथ पठित धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के प्ररूप 2क, के भाग 3क में,-

   (क) विद्यमान पैरा को उसके उप-पैरा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

   (ख) इस प्रकार संख्यांकित उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्:-

   "(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? ....(हां/नहीं)
   -यदि हां, धारित पद के ब्यौरे.................

   (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?.......(हां/नहीं)
   -यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है ....

   (4) क्या अभ्यर्थी किसी बाहरी देश के प्रति राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है?.......(हां/नहीं)
   -यदि हां, ब्यौरे दीजिए.................

   (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?.......(हां/नहीं)
   -यदि हां, निरर्हित किए जाने की अवधि.................

   (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?.......(हां/नहीं)
   -यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख.................

3

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे..............

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे..............

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हता की तारीख..............."

3. उक्त नियमों के, प्ररूप 2ख, के भाग 3क में,-

(क) विद्यमान पैरा को उसके उप-पैरा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार संख्यांकित उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? ....(हां/नहीं)

-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे ....

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है ....

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, ब्यौरे दीजिए..............

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हित किए जाने की अवधि..............

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख..............

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे..............

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे..............

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हता की तारीख..............."

4. उक्त नियमों के, प्ररूप 2ग के, भाग 2 में,-

(क) विद्यमान पैरा को उसके उप-पैरा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार संख्यांकित उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्:-

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? ....(हां/नहीं)

-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे..............

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है ....

(4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, ब्यौरे दीजिए..............

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हित किए जाने की अवधि..............

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?......(हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख..............

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे..............

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे..............

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है ?......(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हता की तारीख..............”

5. उक्त नियमों के, प्ररूप 2ख के, भाग 2 में,-

(क) विद्यमान पैरा को उसके उप-पैरा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा,

(ख) इस प्रकार संख्यांकित उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? ....(हां/नहीं)

-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे..............

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है..............

(4) क्या अभ्यर्थी किसी बाहरी देश के प्रति राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, ब्यौरे दीजिए..............

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हित किए जाने की अवधि..............

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख..............

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे..............

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे..............

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हता की तारीख..............”

6. उक्त नियमों के, प्ररूप 2ड. के, भाग 2 में,-

(क) विद्यमान पैरा को उसके उप-पैरा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार संख्यांकित उप-पैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्:-

"(2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? ....(हां/नहीं)

-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे ....

(3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है?......(हां/नहीं)

-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है ....

(4) क्या अभ्यर्थी किसी बाहरी देश के प्रति राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, ब्यौरे दीजिए..............

(5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया गया है?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हित किए जाने की अवधि..............

(6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है?......(हां/नहीं)

-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख..............

(7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे..............

(8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे..............

(9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित किया गया है ?.......(हां/नहीं)

-यदि हां, निरर्हता की तारीख.............."

7. उक्त नियमों के, प्ररूप 26 के, भाग क में,-

(क) पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"(3) मेरा/मेरे .... संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और .... मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा
(i) .... (ii) .... (iii).............. मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) है/हैं।

(ख) पैरा (9) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(9क) आय के स्रोत (स्रोतों) के ब्यौरे:

(क) स्वयं..............

(ख) पति/पत्नी.............."

[फा. सं. एच-11019/13/2016-वि. II]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में का.आ. संख्या 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. संख्या 3263(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2017

S.O. 1133(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 read with section 33 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government after consulting the Election Commission hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules), in FORM 2A, in PART IIIA,—

(a) the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof;

(b) after the sub-paragraph (1) as so numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

"(2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government?..........(Yes/No)

-If Yes, details of the office held.......................................

(3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court?......(Yes/No)

-If Yes, has he been discharged from insolvency.............................

(4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country?.......(Yes/No)

-If Yes, give details.......................................

(5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President?....................(Yes/No)

-If Yes, the period for which disqualified.......................................

(6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?.............(Yes/No)

-If Yes, the date of such dismissal.......................................

(7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?...........(Yes/No)

-If Yes, with which Government and details of subsisting contract(s)..........

(8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central/ Government or State Government has not less than twenty-five percent share?.............(Yes/no)

-If Yes, with which Government and the details thereof.................

(9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act ....(Yes/No)

-If yes, the date of disqualification......................................."

3. In the said rules, in FORM 2B, in PART IIIA,—

(a) the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof;

(b) after the sub-paragraph (1) as so numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

"(2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government?..........(Yes/No)

-If Yes, details of the office held.......................................

(7)

(3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court?.....(Yes/No)

If Yes, has he been discharged from insolvency.............................

(4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country?.......(Yes/No)

-If Yes, give details...

(5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President?...................(Yes/No)

-If Yes, the period for which disqualified...

(6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?............(Yes/No)

-If Yes, the date of such dismissal...................................

(7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?..........(Yes/No)

-If Yes, with which Government and details of subsisting contract(s)..........

(8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central/ Government or State Government has not less than twenty-five percent share?............(Yes/no)

-If Yes, with which Government and the details thereof.................

(9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act..............(Yes/No)

-If yes, the date of disqualification..................................."

4. In the said rules, in FORM 2C, in PART II,—

(a) the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof;

(b) after the sub-paragraph (1) as so numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

"(2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government?...........(Yes/No)

-If Yes, details of the office held...

(3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court?.....(Yes/No)

-If Yes, has he been discharged from insolvency.............................

(4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country?.......(Yes/No)

-If Yes, give details...

(5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President?...................(Yes/No)

-If Yes, the period for which disqualified...

(6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?............(Yes/No)

-If Yes, the date of such dismissal...................................

(7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?..........(Yes/No)

-If Yes, with which Government and details of subsisting contract(s).........

(8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central/ Government or State Government has not less than twenty-five percent share?............(Yes/no)

-If Yes, with which Government and the details thereof.................

(9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act ....(Yes/No)

–If yes, the date of disqualification ...."

5. In the said rules, in FORM 2D, in PART II,—

(a) the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof;

(b) after the sub-paragraph (1) as so numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:–

"(2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government?..........(Yes/No)

–If Yes, details of the office held ....

(3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court?......(Yes/No)

–If Yes, has he been discharged from insolvency..................................

(4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country?........(Yes/No)

–If Yes, give details ....

(5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President?.....................(Yes/No)

–If Yes, the period for which disqualified...

(6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?.............(Yes/No)

–If Yes, the date of such dismissal...

(7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?..........(Yes/No)

–If Yes, with which Government and details of subsisting contract(s)..........

(8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central Government or State Government has not less than twenty-five percent share?.............(Yes/no)

–If Yes, with which Government and the details thereof.................

(9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act ....(Yes/No)

–If yes, the date of disqualification ...."

6. In the said rules, in FORM 2E, in PART II,—

(a) the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof;

(b) after the sub-paragraph (1) as so numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:–

"(2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government?..........(Yes/No)

–If Yes, details of the office held ....

(3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court?......(Yes/No)

–If Yes, has he been discharged from insolvency..................................

(4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country?........(Yes/No)

–If Yes, give details ....

(5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President?.....................(Yes/No)

–If Yes, the period for which disqualified...

(6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State?.............(Yes/No)

-If Yes, the date of such dismissal..............................

(7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?.............(Yes/No)

-If Yes, with which Government and details of subsisting contract(s)..........

(8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central/ Government or State Government has not less than twenty-five percent share?.............(Yes/no)

-If Yes, with which Government and the details thereof..................

(9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act ....(Yes/No)

-If yes, the date of disqualification..............................."

7. In the said rules, in FORM 26, in PART A,—

(a) for paragraph (3), the following paragraph shall be substituted, namely:—

"(3) My contact telephone number(s) is/are.............................. and my email ID (if any) is .... and my social media account(s) (if any) is/are (i) ....(ii) ....(iii) ....

(b) after paragraph (9), the following paragraph shall be inserted, namely:—

"(9A) Details of source(s) of income:

(a) Self ....

(b) Spouse ...."

[F. No. H-11019/13/2016-Leg. II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 859, dated the 15th April, 1961 and last amended vide number S.O. 3263(E), dated the 21st October, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.